हिमाचल प्रदेश

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए शिक्षक सम्मान

भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही गुरु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उसे राष्ट्र निर्माता के रूप में जाना जाता है। देश की भावी पीढ़ी का वही सच्चा पथ-प्रदर्शक होता है। ऐसे में शिक्षक को उसका उचित सम्मान दिया जाना समाज का भी कर्तव्य हो जाता है। प्रदेश सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा हर वर्ष 5 सितम्बर को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। यह सम्मान समारोह मात्र एक औपचारिकता न रहे, इसके लिए विभाग निरंतर प्रयास करता रहता है और शिक्षा के लिए समर्पित एवं कर्तव्यनिष्ठ अध्यापकों को सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2010 से 'शिक्षक सम्मान योजना' में संशोधन कर पुरस्कार हेतु अध्यापकों की चयन प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है। इस अंक में नवगठित चयन प्रक्रिया एवं अध्यापक की योग्यता के निर्धारण हेतु रखे गए मापदण्डों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रकाशित की जा रही है। विभिन्न स्तरों पर चयन हेतु गठित कमेटियां एवं अध्यापक इस जानकारी से अवश्य लाभान्वित होंगे।

पुरस्कार के लिए अध्यापकों की योग्यता शर्तें

1. **राजकीय** प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/ उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत अध्यापक जिनका नियमित अध्यापन अनुभव 15 वर्ष का हो तथा मुख्याध्यापक/प्राचार्य जिनका अध्यापन एवं प्रशासनिक अनुभव 20 वर्ष का हो, वही पात्र होंगे। बाह्य सेवाओं का अनुभव मान्य नहीं होगा।

1.1 आमतौर पर सेवानिवृत्त अध्यापक पुरस्कार के लिए मान्य नहीं होंगे लेकिन जिन्होंने पुरस्कार संबंधी वर्ष में कम से कम चार माह अध्यापन किया हो, उन पर विचार किया जा सकता यदि अन्य सभी शर्तें वे पूर्ण करते हों। विगत वर्ष में जिनके नाम की सिफारिश की गई थी, उन पर भी पुनः विचार किया जा सकता है।

1.2 शैक्षिक प्रशासक, खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा निदेशक तथा प्रशिक्षण कॉलेज का स्टाफ इस पुरस्कार के लिए योग्य नहीं।

1.3 पिछले वर्ष 31 दिसम्बर तक वांछित अनुभव प्राप्त अध्यापक ही योग्य होंगे।

1.4 शिक्षा विभाग में गैर शिक्षण कार्य कर रहे अध्यापक पुरस्कार हेतु योग्य नहीं।

2. विभिन्न स्तरों पर अध्यापकों के चयन हेतु मार्गदर्शक बिन्दु

- स्थानीय समुदाय में अध्यापक की प्रतिष्ठा
- अध्यापक की शैक्षिक सक्षमता तथा शैक्षिक सुधार हेतु इच्छाशक्ति
- अध्यापक की वास्तविक रुचि एवं बच्चों के प्रति प्रेम
- सामुदायिक सामाजिक जीवन में अध्यापक की भागीदारी

3. चयन प्रक्रिया

3.1 जिला स्तरीय समिति प्रारंभिक चयन अध्यापकों के योगदान के आधार पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों तथा स्कूल प्रमुखों की सिफारिश पर करेगी। अध्यापक स्वयं पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

3.2 कमेटी द्वारा चयनित कम से कम दो नाम प्रत्येक श्रेणी से 50 प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा निदेशालय को भेजे जाएंगे जहां से इन्हें राज्य स्तरीय समिति को सौंपा जाएगा।

3.3 अन्तिम चयन राज्य सरकार द्वारा होगा।

4. जिला/निदेशालय/राज्य स्तरीय समिति का गठन

4.1 जिला स्तरीय कमेटी

1.	उप निदेशक (उच्च शिक्षा)	समन्वयक
2.	उप निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)	सदस्य सचिव
3.	प्राथमिक अथवा प्रारंभिक शिक्षकों में से एक राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कृत सेवानिवृत्त अथवा सेवारत अध्यापक जिसे उप शिक्षा निदेशक प्रारंभिक शिक्षा नामित करेगा।	सदस्य
4.	जिला के माध्यमिक अथवा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षकों में से राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कृत सेवानिवृत्त अथवा सेवारत अध्यापक जिसे उप शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा नामित करेंगे।	सदस्य

4.2 निदेशालय स्तरीय कमेटी

1.	अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक (प्रा. शि.)	अध्यक्ष
2.	उप निदेशक (उच्च शिक्षा)	सदस्य
3.	उप निदेशक, (प्रारंभिक शिक्षा)	सदस्य सचिव
4.	निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा नामित एक राष्ट्रीय पुरस्कृत शिक्षक	सदस्य
5.	निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) द्वारा नामित एक राज्य पुरस्कृत शिक्षक	सदस्य

4.3 राज्य स्तरीय कमेटी

1.	सचिव (शिक्षा)	अध्यक्ष
2.	निदेशक (उच्च शिक्षा)	सदस्य
3.	निदेशक (प्रा.शि.)	सदस्य
4.	फील्ड एडवाइज़र एन.सी.ई.आर.टी./ भारत सरकार द्वारा चयनित सदस्य	सदस्य
5.	शिक्षा सचिव द्वारा नामित प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य/एस.सी.ई.आर.टी.	सदस्य
6.	अतिरिक्त/संयुक्त/उप निदेशक प्रा. शि.	सदस्य सचिव

शिक्षक पुरस्कार योजना-2010

5. पुरस्कार

– प्रत्येक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक को 60,000 रुपये नकद पुरस्कार राशि, शॉल, हिमाचली टोपी/स्कार्फ, पुस्तकें दी जाएंगी।

– प्रत्येक राज्य पुरस्कृत अध्यापक को 40,000 रुपये नकद पुरस्कार, रजत पदक, हिमाचली टोपी/स्कार्फ, शॉल, पुस्तकें, प्रशस्ति पत्र व प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

6. राज्य चयन समिति द्वारा संयुक्त सूची तैयार कर मैरिट के आधार पर राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कृत अध्यापकों के नाम होंगे।

7. राष्ट्रीय पुरस्कारों की संख्या/अध्यापक श्रेणी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित होगा।

8. राज्य पुरस्कारों की संख्या/अध्यापक श्रेणी का ब्योरा

क्र	अध्यापक श्रेणी	संख्या	क्र	अध्यापक श्रेणी	संख्या
1.	प्राचार्य	1	5.	प्रशिक्षित स्नातक	3
2.	मुख्याध्यापक	1	6.	सीएण्डवी	3
3.	प्रवक्ता	2	7.	जेबीटी	5
4.	डीपीई	1			
			कुल		16

टिप्पणी : प्रत्येक जिले से उपरोक्त प्रत्येक अध्यापक श्रेणी के लिए दो अध्यापकों के नाम भेजे जाएंगे।

पुरस्कार हेतु अध्यापकों की परस्पर योग्यता के आकलन के लिए मापदण्ड

भाग-I

1. प्रारंभिक स्कूल अध्यापकों के संबंध में उनके द्वारा बच्चों के नामांकन को बढ़ाने तथा ड्रॉप आउट रोकने के लिए उठाए गए कदम पर योग्यता निर्भर होगी। इसके लिए पिछले तीन वर्षों के स्कूल तथा जिला के नामांकन/ठहराव की प्रतिशतता के आंकड़े देने होंगे ताकि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण की दिशा में हुई प्रगति को दर्शाया जा सके। माध्यमिक स्कूल अध्यापकों के संबंध में देखा जाएगा कि पिछले पांच वर्षों में स्कूल में माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर क्या रही है? और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए? इस संबंध में अंक निर्धारित करने के लिए संस्थान प्रमुख अथवा खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित लिखित प्रमाण होना अनिवार्य है। (10 अंक)

2. बोर्ड परीक्षाओं में अध्यापकों का कक्षा परिणाम क्या रहा? इसके लिए अध्यापक का पिछले पांच वर्षों के परिणाम का पास प्रतिशत तथा कक्षा/विषयवार प्रथम श्रेणी पाने वाले छात्रों का ब्योरा देना होगा।

I. यदि वार्षिक परीक्षा में पांच वर्षों में 10 अथवा अधिक छात्र विशेष योग्यता/75 अंक या 3.7 ग्रेड या इससे अधिक अंक अर्जित करें तो अध्यापक को 10 अंक प्राप्त होंगे।

– यदि वार्षिक परीक्षा में पांच वर्षों में 9 छात्र 75 अंक/3.7 ग्रेड अथवा इससे अधिक अंक अर्जित करें तो अध्यापक को 9 अंक प्राप्त होंगे।

– आगे भी इसी प्रकार से अंक निर्धारित होंगे।

II. पिछले पांच वर्षों में अध्यापक की वार्षिक बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं में परिणाम 100 प्रतिशत रहने पर 10 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार

– 90 प्रतिशत परिणाम के लिए 9 अंक

– 85प्रतिशत परिणाम के लिए 8.5 इत्यादि।

पिछले पांच वर्षों में से किसी भी वर्ष में 50 प्रतिशत अथवा इससे कम परिणाम देने वाले अध्यापक पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं होंगे।

III. प्रतियोगी/प्रवेश परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन हेतु अध्यापक को 10 अंक प्राप्त होंगे। **उदाहरणार्थ** : यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पांच या इससे अधिक छात्र चयनित होते हैं तो संबंधित अध्यापक को 10 अंक प्राप्त होंगे। यदि चार छात्र चयनित होंगे तो अध्यापक को 8 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार अंक आगे भी निर्धारित होंगे। (30 अंक)

टिप्पणी : ये 30 अंक संस्थान प्रमुख अथवा खण्ड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विधिवत लिखित प्रमाण के आधार पर ही प्राप्त होंगे।

3. क्या अध्यापक द्वारा स्कूल के संरचनात्मक विकास हेतु बड़ी संख्या में सामुदायिक साधन जुटाए गए? यदि हां तो विवरण सहित संस्थान प्रमुख द्वारा विधिवत प्रमाणित लिखित सबूत दिया जाएगा। (5 अंक)

4. अनुशासनहीनता के मामलों की संख्या सूचित की जाए यदि हो। यदि अनुशासनहीनता का कोई भी मामला न हो तो अध्यापक को पांच अंक प्राप्त होंगे तथा एक मामला होने पर 4 अंक प्राप्त होंगे तथा इसी प्रकार अंक आगे भी निर्धारित होंगे। (5 अंक)

5. क्या अध्यापक ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष गतिविधि को अपनाया? विवरण दें। (5 अंक)

6. निम्न जानकारी विशेष रूप से दी जाए :

– क्या अध्यापक ट्यूशन में संलिप्त है?

– क्या वह राजनीतिक/ट्रेड यूनियन गतिविधियों में संलिप्त है?

– क्या अध्यापक को शिकायतें करने तथा मुकदमेबाजी में संलिप्त होने की आदत है?

– क्या वह समयबद्ध है? (5 अंक)

टिप्पणी : सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय उपरोक्त जानकारी के लिए 60 प्रतिशत अधिमान दिया जाएगा।

भाग-II

7. क्या अध्यापक ने बच्चों को अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए कोई नवाचारी प्रयोग किया? एक संक्षिप्त नोट दें। (5 अंक)

8. कक्षा कक्ष में अध्यापक को रुचिकर बनाने के लिए अध्यापक द्वारा किस प्रकार की अध्यापन सहायक सामग्री अथवा संचार माध्यम का उपयोग किया गया? (5 अंक)

9. क्या अध्यापक प्रतिभावान एवं कमजोर छात्रों को विशेष ध्यान एवं सहायता प्रदान करता है। यदि हां तो विवरण दें (2 अंक)

10. क्या अध्यापक ने किसी प्रकार के सेवारत प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आदि में भाग लिया? यदि हां तो पिछले पांच वर्षों का विवरण दें? (3 अंक)

11. क्या अध्यापक स्कूल में सह– पाठ्यचर्या एवं अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियां आयोजित करने में सक्रिय रुचि दिखाता है? यदि हां तो विवरण दें। (8 अंक)

12. क्या अध्यापक ने कोई लेख, पाठ्य पुस्तक आदि लिखी है? यदि हां तो विवरण दें। (3 अंक)

13. क्या अध्यापक पिछले 10 वर्षों के दौरान स्कूल, समुदाय अथवा सरकार से किसी प्रकार की मान्यता, सम्मान अथवा पुरस्कार प्राप्त किया हो? यदि हां तो विवरण दें (2 अंक)

14. कोई अन्य उल्लेखनीय उपलब्धि जो ऊपर नहीं दी गई है। (2 अंक)

टिप्पणी : सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय उपरोक्त जानकारी के लिए 30 प्रतिशत अधिमान दिया जाएगा।

भाग-III

अध्यापक के बारे में वरिष्ठ अधिकारी की टिप्पणी

15. क्या अध्यापक छात्रों में सम्मान रखता है?

16. क्या अध्यापक में छात्रों को अनुशासन में रखने की योग्यता है?

17. क्या अध्यापक के अपने सहयोगी अध्यापकों एवं अन्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं?

18. क्या अध्यापक को समुदाय विशेषकर अभिभावकों द्वारा उच्च सम्मान प्राप्त है?

19. अभिभावक अध्यापक संघ की गतिविधियों में अध्यापक की भागीदारी किस हद तक है, इत्यादि, यदि हो?

20. संस्थान प्रमुख की सामान्य राय।

21. उप निदेशक शिक्षा की सामान्य राय।

टिप्पणी : सिफारिशों को अंतिम रूप देते समय भाग–III में निर्दिष्ट उपरोक्त जानकारी के लिए 10 प्रतिशत अधिमान दिया जाएगा ।

शिक्षक पुरस्कार हेतु योग्यता निर्धारण मापदण्ड

भाग-I में निहित

- अध्यापक द्वारा बच्चों का नामांकन बढ़ाने और ड्रॉपआउट रोकने के लिए उठाए गए ठोस कदम।
- बोर्ड परीक्षा में अध्यापक का कक्षा परिणाम।
- स्कूल के संरचनात्मक विकास हेतु संसाधन जुटाने में अध्यापक की भूमिका।
- अनुशासन हीनता संबंधी मामले ।
- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक द्वारा की गई विशेष गतिविधियां इत्यादि।

(60% अधिमान)

भाग-II में निहित

- प्रभावी अध्यापन के लिए किए गए नवाचारी प्रयोग।
- अध्यापन सहायक सामग्री तथा मास मीडिया का प्रयोग।
- प्रतिभावान एवं कमज़ोर छात्रों पर विशेष ध्यान देना।
- प्रशिक्षण/कार्यशाला में अध्यापक की भागीदारी।
- सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में रुचि।
- अध्यापक में लेखन प्रतिभा।
- अध्यापक को प्राप्त किसी प्रकार का सम्मान इत्यादि।

(30% अधिमान)

भाग-III में निहित

- वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यापक विशेष के प्रति राय।

(10% अधिमान)

प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश

खण्ड स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियाँ एवं उपलब्धियां

शिक्षा खण्ड ऊना–II, जिला ऊना के छः शिक्षा खण्डों में से एक है। इसकी दो दिशाओं में पंजाब प्रांत की सीमाएं लगती हैं। इस खण्ड में वर्तमान में 88 राजकीय प्राथमिक पाठशालायें, 19 राजकीय माध्यमिक पाठशालायें, 8 राजकीय उच्च पाठशालायें तथा 17 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक, दो 95 प्रतिशत अनुदान वाली वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालायें तथा 7 ई.जी.एस. व 6 ए.आई.ई. पाठशालाएं हैं।

प्राथमिक पाठशालाओं को 23 संकुलों में तथा अप्पर प्राईमरी पाठशालाओं को 19 संकुलों में बांटा गया है। इनके अतिरिक्त इस खण्ड में 55 के लगभग निजी पाठशालायें हैं, जवाहर नवोयद विद्यालय, ऊना भी इसी खण्ड के अन्तर्गत आता है। प्राथमिक पाठशालाओं में कुल 7311 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिनमें से 3904 लड़के तथा 3408 लड़कियां है। अप्पर प्राइमरी पाठशालाओं में कुल 5729 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जिनमें से 19 माध्यमिक पाठशालाओं में 1382 बच्चे, 8 उच्च विद्यालयों मे 891 बच्चे तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में 3456 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे है। इन स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर 3280 लड़के व 2449 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही है।

शिक्षा खण्ड ऊना में प्राथमिक स्तर पर कुल 304 अध्यापक कार्यरत्त हैं। जिनमें से 119 पुरुष अध्यापक तथा 185 महिला अध्यापिकाएं है। 304 अध्यापकों में से 23 केन्द्र मुख्य शिक्षक, 44 मुख्य शिक्षक, 6 ग्रामीण विद्या उपासक, 32 प्राथमिक सहायक अध्यापक, तथा 199 जे.बी.टी. अध्यापक हैं।

भौगोलिक स्थिति : इस शिक्षा खण्ड का मुख्यालय ऊना शहर के बस अड्डे से मात्र दो सौ मीटर की दूरी पर स्थित है। व पंजाब की सीमा से लगभग 12 कि.मी. की दूरी पर है। खण्ड स्रोत समन्वयक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जिसके लगभग दो मास में पूर्ण हो जाने की आशा है। इस खण्ड के मुख्यालय में सिक्खों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के वंशज हजूर बाबा साहिब सिंह जी की जन्म स्थली गुरुद्वारा के रूप में स्थित है। स्वां नदी जिसे सोमभद्रा के नाम से जाना जाता है, इस खण्ड में प्रवेश करते ही अपना विकराल रूप धारण कर लेती है। 2006–07 में खण्डों के पुनर्गठन के उपरान्त इस खण्ड में लगभग 45 प्राइमरी व अप्पर प्राइमरी पाठशालाएं और मिल गई हैं जो लगभग सभी हरोली खण्ड से सम्बन्धित थी। प्रसिद्व धार्मिक स्थल पीर निगाह भी इसी खण्ड बंगाणा व खण्ड ऊना की सीमा पर स्थित है। हर वीरवार को यहाँ पंजाब, हरियाणा व हिमाचल के श्रद्धालु विशाल संख्या में पहुँचते हैं।

प्रशिक्षण शिविर गतिविधियां– प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के अध्यापकों हेतु लगभग 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर विभिन्न विषयों पर दिया गया । जिसमें मुख्यतः आधार प्लस, सतत् समग्र मूल्यांकन व अन्य विषयों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त सभी अध्यापकों को अग्निशमन यन्त्रों के उपयोग व आग पर काबू पाने के उपाय अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा सुझाये गये। विभिन्न प्रकार के खेलों के मैदान व खेल के नियमों व पाठशालाओं में प्रातःकालीन सभा में एक रूपता लाने हेतु भी प्रशिक्षण व जानकारी उपलब्ध करवाई गई। शारीरिक अध्यापकों को योग शिक्षा के बारे में पूर्ण जानकारी अभ्यास सहित प्रदान की गई।

ई.जी.एस./ए.आई.ई केन्द्र– जिला ऊना में कुल ई.सी.एस./ए.आई.ई केन्द्रों में से 95 प्रतिशत केन्द्र ऊना–2 खण्ड में पड़ते हैं। खण्ड ऊना दो के अन्तर्गत 21 ई.जी.एस. व ए.आई.ई केन्द्र पड़ते थे, जिनमें से 8 ई.जी.एस. केन्द्रों के बच्चे नजदीकी औपचारिक पाठशालाओं में दाखिल करवा दिये गये हैं। अब इस खण्ड में 7 ई.सी.एस. व छः ए.आई.ई. केन्द्र यानि कुल 13 केन्द्र शेष कार्य कर रहे हैं। इनमें लगभग 469 बच्चे जिनमें 249 लड़के व 220 लड़कियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। पिछले वर्ष में इन पाठशालाओं में से 42 बच्चों को नजदीकी सरकारी औपचारिक पाठशालाओं में दाखिल करवाया गया। समय –समय पर इन केन्द्रों के अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। बच्चों की खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाती है।

मीना सप्ताह– सितम्बर मास के अन्तिम सप्ताह में खण्ड की सभी पाठशालाओं में महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया व रैलियां निकाली गई। जिसमें लड़का लड़की में भेद समाप्त करना, भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाना मुख्यतः शामिल था तथा बेटी है अनमोल के अन्तर्गत स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता व लघु नाटकों का आयोजन भी किया गया।

शिक्षा खण्ड ऊना–II, जिला ऊना

व्यवसायिक प्रशिक्षण कैम्प– अक्षम बच्चों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 20 बच्चों ने भाग लिया। इस शिविर में बच्चों को विभिन्न प्रकार की मोमबत्तियां बनाने का प्रशिक्षण, चॉक बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पॉलिथीन थैलों के बंद हो जाने से अखबार के लिफाफे बनाने का प्रशिक्षण व कपड़े के थैलें सिलने का प्रशिक्षण व किताबों की जिल्द लगाने का प्रशिक्षण विशेष रूप से दिया गया। जिससे प्रोत्साहित होकर बच्चों के अभिभावकों ने अपने घरों में उपरोक्त सभी कार्य करने शुरू कर दिए हैं। इसे उनकी रोटी रोज़ी का एक बेहतरीन माध्यम बन गया है।

गृह आधारित शिक्षा– इस खण्ड में वैड रिडन बच्चों के लिए घर पर शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिसमें पिछले वर्ष लगभग 12 बच्चे लाभान्वित हुए।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान– सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान जिला ऊना के अन्तर्गत खण्ड ऊना–2 के रा.मा.पा. फतेहपुर ने सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान में जिला ऊना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिसके लिए इस पाठशाला को पचास हजार रुपये नकद और एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र हिमाचल दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदान किया गया।

टी.एल.एम. प्रदर्शनी, बाल मेला व महिला सम्मेलन– रा.प्रा.पा. गलुआ में खण्ड स्तरीय टी.एल.एम. प्रदर्शनी, बाल मेला व महिला सम्मेलन संयुक्त रूप से बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जिसमें प्राइमरी व अप्पर प्राइमरी के 133 स्कूलों व 13 ई.जी.एस. व ए.आर.ई. पाठशालाओं के 250 बच्चों ने भाग लिया। जिसमें विभिन्न विषयों में प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को माननीय जिलाधीश व उपशिक्षा निदेशक के कर कमलों द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस खण्ड के अधिकतर बच्चों ने राज्य स्तरीय टी.एल.एम. प्रदर्शनी व बाल मेले में भाग लिया। इसमें बाल मेले के अन्तर्गत एकलगान, समूहगान, लोकनृत्य, सुलेख प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, भाषण प्रतियोगिता आदि का भी आयोजन किया गया।

विभिन्न पाठशालाओं की मातृ अध्यापक संघों से सम्बन्धित बहनों ने बढ़–चढ़ कर भाग लिया व उन्होंने मंच पर अपने–अपने विचार रखे

निर्माण कार्य– इस खण्ड में लगभग 90 प्रतिशत से अधिक प्राइमरी व अप्पर प्राइमरी स्कूलों में शौचालय और रसोई घर का निर्माण कार्य हो चुका है, या प्रगति पर है। सभी रसोई घरों में अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुके हैं। इस वर्ष अप्पर प्राइमरी की छः पाठशालाओं के लिए मुख्याध्यापक कक्ष का निर्माण किया गया।

अनुदान राशियों का विवरण - वर्ष 2009–10 हेतु विभिन्न पाठशालाओं के रख रखाव और गुणात्मक शिक्षा हेतु लगभग 29 लाख 25 हजार रुपये की राशी विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत वितरित की गई।

विवरण इस प्रकार से है–

1.	स्कूल विकास योजना हेतु	– 13,200 रूपये
2.	सामुदायिक प्रशिक्षण	– 47388 रूपये
3.	अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र	– 289497 रूपये
4.	मीना सप्ताह हेतु	– 78906 रूपये
5.	भवन मरम्मत हेतु	– 975000 रूपये
6.	पाठशाला में उपकरणों हेतु (स्कूल ग्रांट)	– 790000 रूपये
7.	टी.एल.एम. ग्रांट	– 255000 रूपये
8.	कंटीन्जैंसी (सी.आर.सी.)	– 69000 रूपये
9.	टी.एल.एम.टू सी.आर.सी.	– 23000रूपये
10.	टी.ए. (सी.आर.सी.)	– 82892 रूपये
11.	टी.एल.एम. (खण्ड स्तर)	–11000 रूपये
12.	व्यावसायिक प्रशिक्षण (अक्षम बच्चों हेतु)	– 7401 रूपये
13.	37 पाठशालाओं में योग शिविर हेतु	– 74250 रूपये
14.	टी.एल.ई. के लिए	– 30100 रूपये

संदीप कुमार शर्मा/संजीव कुमार शर्मा
बी.आर.सी.सी. (प्रा.)/(उच्च प्रा.), खण्ड ऊना–2, ऊना (हि.प्र.)

पाठकों से...

पाठकगण अपने जिला, खण्ड, संकुल या स्कूल में चल रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में हमें सूचित करें। सर्व शिक्षा अभियान संबंधी यह पृष्ठ हर माह के अंतिम बुधवार को प्रकाशित किया जाता है। पाठकगण सर्व शिक्षा अभियान संबंधी किसी भी सुझाव व जानकारी के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं :–

राजेश शर्मा
राज्य परियोजना निदेशक,
राज्य परियोजना कार्यालय (सर्व शिक्षा अभियान),
डी.पी.ई.पी.भवन, लाल पानी, शिमला–171001

प्रस्तुति : ज्योति रावत